पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

धर्मेन्द्र कुमार एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड एवं अन्य

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7491 के साथ

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5801

02 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या राज्य प्राधिकारियों ने मनमाने ढंग से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ताओं के शैक्षणिक संस्थानों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से केवल उनके शुल्क ढांचे के बारे में व्यक्तिपरक "संदेह" के आधार पर, बिना किसी वैधानिक आधार के या यह दर्शाए बिना कि किस प्रकार उस ढांचे से कोई गैरकानूनी लाभ प्राप्त हुआ, सूची से हटा दिया? (अनुच्छेद 3, 4, 9, 10, 12)

हेडनोट्स

उच्च न्यायालय ने माना कि शैक्षणिक संस्थानों और उनके छात्रों के अधिकारों के लिए हानिकारक कोई प्रशासनिक निर्णय, कथित दुर्भावना या गलत कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी वस्तुनिष्ठ सामग्री या साक्ष्य के बिना, केवल "संदेह" या संदेह पर आधारित नहीं हो सकता। (अनुच्छेद 4, 10, 12)

न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी कल्याणकारी योजना का लाभ मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को किसी विशेष शुल्क संरचना के आधार पर देने से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से तब जब कोई वैधानिक शुल्क नियामक तंत्र या योजना में ही लाभ को विशिष्ट शुल्क घटकों से जोड़ने का कोई प्रावधान न हो। (अनुच्छेद 11, 13)

यह दोहराया गया कि छात्र क्रेडिट कार्ड एक ऋण है, सब्सिडी नहीं, और इसकी वसूली उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता से की जा सकती है। इसलिए, राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा होती है, और शुल्क की संरचना (इसे ट्यूशन और छात्रावास शुल्क में विभाजित करना) योजना के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। (अनुच्छेद 11, 12)

न्याय दृष्टान्त

चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोतिहारी बनाम बिहार राज्य (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5343/2023, आदेश दिनांक 24.07.2023): इस सिद्धांत पर भरोसा किया गया कि संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को योजना के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस आदेश के अनुपात को वर्तमान मामले में लागू किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि छात्रों का ऋण योजना का अधिकार किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश से प्राप्त होता है, न कि संस्थान के आंतरिक शुल्क ढांचे से। (अनुच्छेद 9)

अधिनियमों की सूची

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914

मुख्य शब्दों की सूची

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना; मान्यता रद्द करना/सूची से हटाना; राज्य की मनमानी कार्रवाई; शुल्क संरचना; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत; शैक्षिक ऋण; कल्याण योजना

प्रकरण से उत्पन्न

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 325 दिनांक 31.07.2020 (अनुलग्नक पी/4) और ज्ञापन संख्या 353 दिनांक 06.10.2021 (अनुलग्नक पी/6) में निहित आदेशों को चुनौती, जिसने याचिकाकर्ताओं के संस्थानों को उन संस्थानों की सूची से हटा दिया जिनके छात्र बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र थे।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5801 में)

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री मृगेन्द्र कुमार, एसी से जीपी-20

निगम की ओर से: श्री कुमार रवीश, अधिवक्ता

(2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7491 में)

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री मृगेन्द्र कुमार, एसी से जीपी-20

निगम की ओर से: श्री कुमार रवीश, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5801

==

1. धर्मेंद्र कुमार पिता-श्याम सुंदर, निवासी- वार्ड सं. 10, फतेहपुर, डाकघर-जमालपुर, जिला- खगड़िया।
2. बमबम कुमार पिता- नरेश शर्मा निवासी- सोरैडीह, वार्ड सं. 01, डाकघर -भदास, जिला- खगड़िया।
3. सुमित कुमार पिता- विजय ठाकुर निवासी- वार्ड सं. 11, डाकघर -रसलपुर, जिला-सहारसा
4. चंदन कुमार पिता- जवाहर कुमार निवासी- गांव-भवानीपुर, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया, बिहार

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम), ब्लॉक सं.3, सचिवालय परिसर, पुराना सचिवालय, राजबंशी नगर, पटना, बिहार अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना
3. प्रबंधक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना
4. प्रभारी अधिकारी, जिला विनियमन और परामर्श केंद्र, पटना
5. मिलिया पॉलिटेक्निक, रामबाग, पूर्णिया, बिहार अपने प्राचार्य के माध्यम से
6. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
8. जिला न्यायाधीश , पूर्णिया

.... उत्तरदाताओं

के साथ

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7491

==

1. मिलिया पॉलिटेक्निक, रामबाग, जिला-पूर्णिया अपने प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार, पुरुष, उम्र- लगभग 54 वर्ष, पिता-श्री मथुरा प्रसाद सिंह, गाँव-पिपरा खुर्द डाकघर-सुरसालपट्टी, थाना- परिहार, जिला-सीतामढ़ी के माध्यम से
2. मिलिया प्रौद्योगिकी संस्थान, रामबाग, जिला-पूर्णिया अपने प्राचार्य डॉ. साकिब शकील माले, उम्र- लगभग 36 वर्ष, पिता-मोहम्मद शकील अहमद, गाँव-मोलनाडीह, डाकघर-मोलनाडीह, थाना-राजगीर, जिला-नालंदा के माध्यम से

.... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना (बिहार सरकार का एक उपक्रम), ब्लॉक सं.3, पुराना सचिवालय, राजबंशी नगर, पटना, बिहार अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना
6. प्रबंधक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना
7. प्रभारी अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, पटना
8. सहायक प्रबंधक, जिला पंजीकरण और परामर्श केंद्र, रोहतास
9. सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, रोहतास (सासाराम)
10. जिला न्यायाधीश, पूर्णिया

.... **उत्तरदाताओं**

==

उपस्थिति :

(2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5801 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री प्रिंस कुमार मिश्रा,
राज्य के लिए	:	श्री मृगेंद्र कुमार कुमार, ए. सी. से जी. पी.-20
निगम के लिए	:	श्री कुमार रवीश, अधिवक्ता

(2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7491 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री मृगेंद्र कुमार, ए. सी. से जी. पी.-20
निगम के लिए	:	श्री कुमार रवीश, अधिवक्ता

===

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

दिनांक: 02-08-2023

दोनों रिट आवेदनों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना भी सुना गया।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, इन रिट आवेदनों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य आदेश द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

3. 2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7491 को प्रमुख मामले के रूप में लिया गया है।

4. इस रिट आवेदन पर पहले दिनांक 23.06.2023 को सुनवाई हुई थी। दिनांक 23.06.2023 के आदेश में मामले के तथ्य और रिट आवेदन में शामिल मुद्दे शामिल हैं जिनका उत्तर राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा दिया जाना आवश्यक था, इसलिए यह न्यायालय दिनांक 23.06.2023 के आदेश को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत करता है-

> "याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना (जिसे आगे 'निगम' कहा जायेगा) के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

यह रिट आवेदन शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन सं. 353 दिनांक 06.10.2021 (अनुलग्नक-'पी/6') में निहित पत्र को निरस्त करने और रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट के रूप में रिट जारी करने की मांग करते हुए दायर किया गया है। आक्षेपित आदेश द्वारा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना द्वारा जारी पत्र/ज्ञापन सं. 325 दिनांक 31.07.2020 (अनुलग्नक-'पी/4') के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया है। आक्षेपित आदेशों द्वारा अंततः यह किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के संस्थानों के नाम उन संस्थानों की सूची से हटा दिए गए हैं जिनके छात्र बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ 4 लाख रुपये की सीमा तक प्राप्त करने के हकदार होंगे।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान अनुलग्नक-'पी/2' की ओर आकर्षित किया है जिससे पूरा मुद्दा निकलता है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कॉलेज में बी. टेक पाठ्यक्रम और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाला छात्र अपने शैक्षणिक सत्र की पूरी अवधि के दौरान प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की दर से 4 लाख रुपये का ऋण पाने का हक़दार होता है। पहले ये संस्थान उन संस्थानों की सूची में सूचीबद्ध थे जिनके लिए छात्र क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध थी। उस समय पर, छात्रावास शुल्क 2500 रूपए प्रति माह था, बाद में मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर के साथ-साथ अन्य शुल्कों में वृद्धि के साथ और छात्रावास सुविधाओं में सुधार से बाद, छात्रावास शुल्क बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। छात्रों ने इसके बारे में कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उत्तरदाता अधिकारियों ने स्वयं ही इस शुल्क संरचना में कुछ गलत पाया।

विद्वान अधिवक्ता आगे बताते हैं कि अनुलग्नक-'4' जो विभाग के अतिरिक्त सचिव का एक पत्र है, में यह भी बताया गया है कि शुल्क और छात्रावास शुल्क की संरचना इस तरह से की गई है कि इससे

संदेह पैदा होता है कि इसे केवल योजना का लाभ प्राप्त करने के इरादे से तैयार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस "संदेह" के आधार पर अधिकारियों ने छात्रों को योजना का लाभ देने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची से संस्थानों के नाम हटाने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप इन संस्थानों में प्रवेश कम हो गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका को उनके समीक्षा आवेदन में उठाए गए आधारों पर विचार किए बिना ही खारिज कर दिया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आदेश जारी करने से पहले, जो संस्थानों और संस्थानों के छात्रों के लिए भी हानिकारक हैं, याचिकाकर्ताओं के संस्थानों को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

हालांकि राज्य के साथ-साथ निगम के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने का बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सूची से संस्थानों के नाम हटाने का कारण हासिल किए जाने वाले उद्देश्य के साथ सह-संबंधित नहीं है, हालांकि, विद्वान अधिवक्ता दलील देते हैं कि वे एक विस्तृत प्रति-शपथपत्र दाखिल करेंगे जिसमे यह दर्शाया जायेगा कि किस आधार पर इस तरह के संदेह उठाए गए थे।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और उत्तरदाता राज्य और निगम को समय देते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत देने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम हैं। आक्षेपित आदेशों/संचारों से ही यह प्रतीत होता है कि ये आदेश कुछ संदेहों पर आधारित हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ताओं के संस्थाओं को उपस्थित होने और कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

ऐसी स्थिति में, अगले आदेश तक, ज्ञापन सं. 325 दिनांक 31.07.2020 (अनुलग्नक-'पी/4') और ज्ञापन सं. 353 दिनांक 06.10.2021 (अनुलग्नक-'पी/6') में निहित आक्षेपित आदेशों/संचारों के संचालन पर रोक रहेगी लगाई जाये।

रिट के परिणाम के अधीन रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं के संस्थानों के नाम बहाल किए जाएंगे। संस्थानों के छात्र उस योजना के लाभों के हकदार होंगे जो उन्हें आक्षेपित आदेश/संचार जारी करने से पहले प्रदान की जा रही थी। जैसा कि प्रार्थना की गई है, चार सप्ताह के बाद अर्थात 24.07.2023 को उसी शीर्षक के तहत अपनी स्थिति बनाए रखते हुए सूचीबद्ध करें।.

उत्तरदाता सं. 3 और 7 का पक्ष

5. उत्तरदाता सं. 3 और 7 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि शिक्षा ऋण बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से वितरित किया जाता है। जवाबी हलफनामे के परिच्छेद '13' में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निगम राज्य की एक एजेंसी और वित्त विभाग के सहायक के रूप में कार्य करता है जो छात्रों और लाभार्थी को शिक्षा ऋण वितरित करता है। यह कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक ने 18 अक्टूबर, 2019 के पत्र सं. 602 के तहत निगम के सहायक प्रबंधक (योजना), रोहतास द्वारा सासाराम में 17 अक्टूबर, 2019 को जारी एक पत्र सं. 47 भेजा, जिसे बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, बिहार, पटना के प्रभारी को संबोधित किया गया था, जिसकी एक प्रति निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक को संलग्न की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि मिलिया प्रौद्योगिकी संस्थान, रामबाग, पूर्णिया स्नातक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए छात्रावास शुल्क 2500/- रुपए प्रति माह जबकि उसी संस्थान के पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए छात्रावास शुल्क 6000/- रुपए दर्शाया गया है। यह कहा गया है कि योजना के सहायक प्रबंधक को शक और संदेह था कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थान के छात्रावास शुल्क और शुल्क संरचना में भारी अंतर किया गया है जो अधिकतम 4,00,000/- रुपये (चार लाख) तक है।

6. यह कहा गया है कि पत्राचार और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से जो कुछ सामने आया, उसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने अपने अतिरिक्त सचिव के माध्यम से जाँच के लिए दो सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जिसमें दो उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना शामिल थे। जिला न्यायाधीश के साथ भी पत्राचार किया गया और अंततः निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा एक जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव

को भेज दी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए संस्थान द्वारा छात्रावास शुल्क में बदलाव किया गया था।

7. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, शिक्षा विभाग ने अपने अतिरिक्त सचिव के माध्यम से यह निर्णय लिया कि इस संस्थान से सम्बंधित आवेदनों को इस योजना के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जाये और आगे आदेश दिया जाना चाहिए कि जिन आवेदकों ने पहले ही योजना के तहत लाभ उठाया है, उन्हें ही किश्तों का आगे का भुगतान किया जायेगा। जवाबी हलफनामे से पता चलता है कि संस्थान की ओर से कुछ अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए गए थे लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

8. उत्तरदाता सं. 4 से 6 की ओर से एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है। उत्तरदाताओं का पक्ष राज्य के उत्तरदाताओं के समान समान ही है।

ध्यान देने योग्य विचार

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय के वर्तमान मामले के तथ्यों से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2023 को पारित आदेश पर ध्यान देना उचित होगा। दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5343/2023 **(चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुलारिया, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण बनाम बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार और अन्य के माध्यम से)** अनुरूप मामलों के साथ, जिसमें इस न्यायालय ने योजना के प्रावधानों की जांच की है और एक दृष्टिकोण अपनाया है जिसे आदेश के पैराग्राफ '13' में संक्षेपित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः-

> *"13. जो भी हो, प्रासंगिक तथ्य यह है कि संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है और उन्हें मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थान में प्रवेश दिया गया है। यह स्थिति होने के कारण, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि इन संस्थानों के जिन छात्रों ने नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है और विश्वविद्यालय द्वारा दी गई अस्थायी संबद्धता के अनुसार उन्हें योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ '15' में राज्य के पक्ष का कोई आधार नहीं है। अतः पक्ष को अस्वीकार किया जाता है।.*

10. वर्तमान मामले में, संस्थानों के छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं देने के लिए राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान किया गया एकमात्र कारण यह है कि राज्य को संस्थानों की शुल्क संरचना पर संदेह था। यह उनका मामला है कि इन संस्थानों ने ट्यूशन शुल्क में कमी की है और छात्रावास शुल्क में वृद्धि की है, लेकिन ट्यूशन और छात्रावास शुल्क के संबंध में शुल्क की संरचना किसी भी तरह से छात्र या संस्थान को कोई गैरकानूनी लाभ कैसे प्रदान करेगी, यह जवाबी हलफनामे में समझाया नहीं गया है।

11. राज्य के और निगम के विद्वान अधिवक्ता इस बात से असहमत नहीं हैं कि आज तक इन संस्थानों के शिक्षण शुल्क और छात्रावास शुल्क का कोई वैधानिक विनियमन नहीं है। वे इस बात से भी असहमत नहीं हैं कि जहां तक इस योजना का संबंध है, यह कहीं भी एक ओर शुल्क संरचना या छात्रावास शुल्क और दूसरी ओर योजना के तहत छात्रों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के स्तर के बीच किसी भी संबंध का उल्लेख नहीं करता है। विद्वान अधिवक्ता बहुत स्पष्ट हैं कि यह योजना प्रत्येक छात्र के लिए है, चाहे किसी छात्र को शिक्षण शुल्क या छात्रावास शुल्क के कारण कितनी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो। आखिरकार, यह केवल एक 'ऋण' है जिसे 4 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापस किया जाना है, जैसा कि इस न्यायलय को सूचित किया गया है।

12. राज्य और निगम की ओर से की गई प्रस्तुतियों से, इस न्यायालय के लिए यह स्पष्ट है कि छात्र के साथ-साथ उसके अभिभावक/माता-पिता को ऋण का उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता बनाया गया है और वे निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जिसके तहत वे प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ ऋण राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें विफल रहने पर बिहार और उड़ीसा लोक मांग और वसूली अधिनियम, 1914 (इसके बाद "1914 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत कार्यवाही प्रमाण पत्र के माध्यम से इसकी वसूली का प्रावधान है। इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि राज्य इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा की गई याचिका के पीछे कोई प्रासंगिकता और कारण दिखाने में असमर्थ है।

13. इस न्यायालय की राय में, किसी संस्थान द्वारा ली जाने वाली शुल्क के किसी भी वैधानिक विनियमन के अभाव में और योजना के लाभ को किसी संस्थान की शुल्क संरचना और छात्रावास शुल्क के साथ सह-संबंधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता के संस्थानों और इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त छात्र को योजना के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

14. चूंकि इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि इन संस्थानों के नाम पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, इसलिए यह न्यायालय अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाता है और रिट आवेदनों की अनुमति देता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।